संख्या -9/2018/1064/77-3-2018-30बजट/2017

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2018**

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु व्यवस्थित/उपलब्ध धनराशि में से पुनर्विनियोग के माध्यम से आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना हेतु देय ब्याज की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4294/यीपूडा/18, दिनांक 14.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या--5/2018/1013/77-3-18-30(बजट)/2017, दिनांक 08.03.2018 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- लेखा शीर्षक 2852-उद्योग 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 15-यूपीडा द्वारा पूर्वान्चल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 135.00 करोड में उपलब्ध बचत की धनराशि में से रू0 49,95,47,000.00 (रूपये उन्चास करोड पन्चानवे लाख सैतालिस हजार मात्र) के पुनर्विनियोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लेखाशीर्षक 2852-उद्योग 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 16-यूपीडा द्वारा आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत व्यवस्थित/उपलब्ध करायी गई धनराशि रू0 49,95,47,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई।

3. उपरोक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्त-'धनराशि आहरित कर डिपाजिट खाते में रखी जायेगी। उक्त धनराशि का डिपाजिट खाते से आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा', के स्थान पर 'उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा', पढा जाये।

4. अत: शासनादेश संख्या-5/2018/1013/77-3-18-30(बजट)/2017, दिनांक 08.03.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-9/2018/1064(1)/77-3-18-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।